पत्रांक–5 / न०सु०(विविध)–06 / 2026 / न०वि०आ० 72

झारखण्ड सरकार

नगर विकास वं आवास विभाग

आवंटनादेश

OSP
नागरिक सुविधा

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
रामगढ़ नगर परिषद।

राँची, दिनांक– 16/10/26

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष– 80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–01–शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक/विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद से रामगढ़ नगर परिषद अन्तर्गत शहरी नागरिकों को बेहत्तर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं आवश्यक संसाधनों की खरीद एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रामगढ़ नगर परिषद को कुल राशि 2,25,00,000/- रूपये (दो करोड़ पच्चीस लाख रू०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

आदेशःउपर्युक्त व्यय शीर्ष अन्तर्गत प्राप्त मांग पत्र एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–88 दिनांक–15.10.2026 के आलोक में रामगढ़ नगर परिषद को कुल राशि रू० 2,25,00,000/- रूपये (दो करोड़ पच्चीस लाख रू०) आवंटित की जाती है।

2. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–01–शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक/विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48-S-2217-80-191-34-01-06-79 से की जाएगी।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रामगढ़ नगर परिषद के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं आवंटित राशि की निकासी रामगढ़, कोषागार से की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2024-2025) में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्रं.	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
i	रामगढ़ नगर परिषद	143/07.10.2024	7,05,73,636	8,19,69,182
		143/07.10.2024	1,13,95,546	

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जागा।

7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं वं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

11. संबंधित निकाय के प्रशासी पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए, स्वीकृत राशि से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

16.10.26

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 5/न०सु०(विविध)–06/2026/न०वि०आ०...72... राँची, दिनांक– 16/10/26

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ कोषागार/नोडल पदाधिकारी,e-Procurement Cell/श्री निर्मल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/श्री उत्कर्ष कुमार, मैनेजर आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास वं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16-10-26

सरकार के प्रधान सचिव।